फर्द अहकाम

दुर्गालाल बनाम गोविन्द नारायण

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

संख्या दावा 139/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/10/24.	पत्रावली वास्ते आदेश बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश हुयी है। तहसीलदार, तहसील-जयपुर द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 28/08/24 पर वादी संख्या-① की आपत्ति है कि प्रार्थी के कब्जे अनुसार हिस्सा रखा जाकर विभाजन किया जाता है तो प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा उज्र है कि तहसीलदार, तहसील जयपुर, विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के लिए मौके पर नहीं गए। वादी सं-1/प्रार्थी की तीसरी आपत्ति है कि विभाजन प्रस्ताव में 1162 मीटर² भूमि को कब्जा ना होने के ~~आधार~~ आधार पर शामलाती रखा	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

दुर्गालाल बनाम गोविन्दनारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या 41(ए) - 139/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/10/24	गया है। अतः तहसीलदार, तहसील जयपुर द्वारा प्रेषित कुरैजात प्रस्ताव दिनांक 20/8/24 को निरस्त किया जाकर पुनः विभाजन प्रस्ताव मांगे जावे। प्रतिवादी सं. 1/2 की ओर से आपत्ति पेश की गयी है कि तहसीलदार, तहसील - जयपुर ने मौका निरीक्षण किए बिना ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किए हैं और जो शामलाती भूमि बतायी है वहाँ पर प्रतिवादी संख्या-1 का कब्जा है और उसी अनुसार मौके पर काबिज है अतः उक्त कुरैजात

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

दुर्गालाल बनाम गोविन्द नारायण

धारा - 139/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/10/24	आपत्तिकर्त्ताओं को नोटिस की सम्यक जानकारी है। जो भूमि भूरे रंग से नक्शे में शामलाती दर्शायी गयी है, जिस पर किसी भी सहखातेदार का कब्जा ना होकर दीगर व्यक्तियों का कब्जा है, ऐसी स्थिति में उसे शामलाती रखा जाना न्यायोचित है। उभयपक्षों की आपत्ति पर सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने ~~हेतु~~ हेतु मौके पर उपस्थित रहने की सम्यक सूचना	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

युगलाल बनाम गोविन्द नारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या दावा 139/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16/10/24	प्रस्ताव में नियम 18 से 21 की पालना नहीं होने पर पुनः कुरैजात रिपोर्ट मंगवायी जावे वादी संख्या 2 व 3 ने उक्त आपत्तियों का जबाव पेश कर कथन किया है कि विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी नियम -18 से 21 के अनुसार तैयार किए गए हैं एवं उक्त कुरैजात प्रस्ताव मौके का PT survey करके तैयार किए गए हैं। मौका कमिश्नर तहसीलदार, तहसील - जयपुर द्वारा सभी पक्षकारों को लिखित नोटिस जारी किया गया है। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम — दुर्गालाल बनाम गोविन्द नारायण

दावा - 1391/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
16/10/24	मौका सर्वे में जो भूमि सहखातेदारों के ~~कब्जे~~ कब्जे में नही है, उसे किसी एक सहखातेदार के हिस्से में रखा जाना न्यायोचित नही है अत: ऐसी भूमि को सभी सहखातेदारों में शामलाती रखा जाना ~~समुच~~ समुचित प्रतीत होता है। अतः विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किए गए प्रतीत होते है। दावा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न नजरी नक्शा, न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाकर इस	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

फर्द अहकाम

दुर्गालाल **बनाम** गोविन्द नारायण

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

केस संख्या दावा 639/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	16/10/24	सभी पक्षकारों को जरिए नोटिस मौका कमिश्नर /तहसीलदार तहसील - जयपुर द्वारा दी गयी है, जो रिकॉर्ड पर है। विभाजन प्रस्ताव, मौके का Survey करने के बाद तैयार किए गए हैं। प्रार्थी / वादी सं-1 का यह उज्र कि उसे सम्पूर्ण हिस्सा कब्जे के अनुसार नहीं दिया गया है, न्यायोचित नहीं है। क्योंकि विभाजन नियम -4 में दिए गए मानकों में 'कब्जा' एक मानक है, शेष सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम

A CM Ist JPR

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम दुर्गालाल बनाम गोविन्द नारायण

...म न्यायालय

...स संख्या दावा 139/2021

...म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/10/24	आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर जयपुर शहर प्रथम	